राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(10)/मो./ICDS/2015–16 / 690 जयपुर, दिनांकः 13-10-2016

आदेश

विभागीय आदेश कमांक प.11(3)(10)/मो./ICDS/2011/68163–647 जयपुर दिनांक 23.07.2015 के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन समय ग्रीष्मकालीन सत्र (01अप्रेल से 30 सितम्बर) में 08.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं शीतकालीन सत्र (01अक्टूम्बर से 31 मार्च) में 10.00 बजे से 02.00 बजे तक निर्धारित किया हुआ है। साथ ही केन्द्र पर सहायिका की उपस्थिति केन्द्र संचालन से आधा घण्टा पूर्व एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति केन्द्र संचालन के 15 मिनट पूर्व तथा आशा सहयोगिनी की उपस्थिति केन्द्र प्रारम्भ समय पर निर्धारित की गई है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा केन्द्रो के निरीक्षण के समय कई बार मानदेय कार्मिक के अनुपस्थित मिलने पर प्रायः साथी मानदेय कार्मिकों/पर्यवेक्षकों द्वारा अनुपस्थित मानदेय कार्मिक के अवकाश पर होने की बात कह दी जाती है। जबकि केन्द्र पर अवकाश प्रार्थना पत्र एवं उपस्थिति रजिस्टर में आकस्मिक अवकाश का इन्द्राज नही होता है। ऐसी स्थिति में मानदेय कार्मिक के नियमानुसार अवकाश (Leave) पर होने अथवा कार्यस्थल पर अनुपस्थित (Absent from Duty)रहने के संबंध में संशय बना रहता है। भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19–9/85–सी.डी.(1) दिनांक 19.03.85 के अनुरूप मानदेय कार्मिकों को वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश देय है। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिसकी सूचना मानदेयकर्मी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच को भी दी जाती है।

अतः सभी उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके अधीनस्थ आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिक अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित महिला पर्यवेक्षक को लिखित में अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी एवं अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग करेंगी। जिससे आवश्कता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके एवं किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के बन्द होने से आई.सी.डी.एस. सेवाएॅ बाधित न हो। स्वीकृत किये गये अवकाश आवेदन पत्र को आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थिति पंजिका में रखा जाएगा ओर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर उनको दिखाया जाएगा। केन्द्रों पर ग्रीष्मकालीन सत्र में प्रातः 08.00 बजे तक व शीतकालीन सत्र में प्रातः 10.00 बजे तक उपस्थिति दर्ज की जाएगी एवं उसी समय अवकाश का इन्द्राज उपस्थिति पंजिका में भी किया जाएगा। यदि किसी मानदेय कार्मिक का स्वीकृत अवकाश आवेदन पत्र केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होगा एवं अवकाश का इन्द्राज पंजिका में नहीं होगा तो उस मानदेय कार्मिक को अवकाश पर नहीं मानकर कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा एंव नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

अपवादस्वरूप, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही मानदेय कार्मिक अपने नियंत्रण अधिकारी (पर्यवेक्षक) से दूरभाष पर पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश का उपभोग कर सकेंगी, जिसका उपरोक्तानुसार उपस्थिति पंजिका में इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त की पालना के लिए उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उत्तरदायी होगें।

(डॉ. समित शर्मा)
IAS
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.11(3)(10)/मो./ICDS/2015–16 691-916 जयपुर, दिनांकः13/10/2016

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवंबाल विकास विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद।
6. एनलिस्ट–कम–प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त उप निदेशक,समेकित बाल विकास सेवाऍं।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त पर्यवेक्षकों को भी उपलब्ध कराते हुए केन्द्र पर मानदेयकर्मी की उपस्थिति करवाना सुनिश्चित करें।
9. आदेश पत्रावली।

अति.निदेशक (आई.सी.डी.एस.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर